

936

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1343/2024

(I.A. No. 615/2024)

IN THE MATTER OF:

HARISH YADAV

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NOS. 11 AND 12 - THE PRINCIPAL SECRETARY (ENVIRONMENT), , AND THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, UTTAR PRADESH	3-5
2.	<u>ANNEXURE-1.</u> INSPECTION REPORT ON BEHALF OF THE DIVISIONAL DIRECTOR, SOCIAL FORESTRY DIVISION- GHAZIABAD, UTTAR PRADESH SUPPORTING AFFIDAVIT.	6-11

937

3.	<u>ANNEXURE-2.</u> AUTHORIZATION LETTER OF THE RESPONDENTS HEREIN	12-13
----	--	-------

Through



Date: 25.06.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE OF UTTAR PRADESH

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail: advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1343/2024

(I.A. No. 615/2024)



IN THE MATTER OF:

HARISH YADAV

...APPLICANTS

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NOS. 11 AND 12 - THE PRINCIPAL SECRETARY (ENVIRONMENT), AND THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS, UTTAR PRADESH .

I, Isha Tiwari aged about 35 years D/o Sh. Akhilesh Tiwari is presently posted as **DIVISIONAL DIRECTOR, SOCIAL FORESTRY DIVISION-GHAZIABAD, UTTAR PRADESH** do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit on behalf of Respondent Nos. 11 and 12—namely, the Principal Secretary (Environment),



Government of Uttar Pradesh, and the Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh before this Tribunal.

2. That the contents of the accompanying affidavit are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.
3. In the matter of Original Application No. 1343/2024, Harish Yadav versus the State of Uttar Pradesh and others, the applicant contends that during the development of the integrated township "Aditya World City" by M/s Aggarwal Associates Promoters Limited, approximately 400 to 500 trees were felled in the revenue village of Shahpur, Bhameta, Dasna, District Ghaziabad, Uttar Pradesh.
4. That Respondent Nos. 11 and 12—namely, the Principal Secretary (Environment), Government of Uttar Pradesh, and the Principal Chief Conservator of Forests, Uttar Pradesh Forest Department—have been arrayed solely as *pro forma* parties and respectfully adopt, in their entirety, the inspection report already filed by the Divisional Director, Social Forestry Division, Ghaziabad; a copy of the said report is annexed hereto and marked **ANNEXURE-1**.
5. That the deponent has been duly authorized to represent and depose on behalf of Respondent Nos. 11 and 12 pursuant to a Letter of delegation executed under their respective signatures; the said letter of authorization is annexed hereto and marked **ANNEXURE-2**.



6. That the answering Respondent hereby undertakes to remain at all times ready and willing to render full cooperation and to carry out forthwith, in letter and spirit, any further directions that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass in the present proceedings, ensuring their prompt and effective compliance.

[Handwritten Signature]

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at Ghaziabad on this ____ day of _____ 2025, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

[Handwritten Signature]

DEPONENT



ATTESTED *[Signature]*
S.No. *1830* Date *28/11/25*
Certified That Document/Affidavit of Shri. *Tisha Tiwari*
Identified by Shri. *[Signature]*
MUKESH CHANDRA SHARMA
Notary Ghaziabad *[Signature]*

961



Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद

पत्रांक- 4555 / 35-3, गाजियाबाद, दिनांक . 20 मार्च 2025
सेवा में

अपर जिलाधिकारी (भू/अ०),
गाजियाबाद।

ANNEXURE-I

विषय:- माननीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1343/2024 हरीश यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक-223/एस०टी०-ए०डी०एम०/2025 दिनांक-18.03.2025।

महोदया,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली की ओ०ए० संख्या-1343/2024 हरीश यादव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के निर्गत आदेश में कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या-2 मै० अग्रवाल एसोसिएट प्रमोटर्स लिमिटेड (इंटीग्रेटेड टाउनशिप आदित्य वर्ल्ड सिटी, ग्राम-शाहपुर बम्हेटा, डासना, जिला-गाजियाबाद) द्वारा टाउनशिप को विकसित करने में अवैध रूप से 400 से 500 वृक्षों का पातन किया गया है। इस पिटीशन में कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद प्रतिवादी संख्या-13 के क्रम पर है। आपके द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी से अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा मौके स्थल की जांच कराई गयी। उप प्रभागीय वनाधिकारी गाजियाबाद द्वारा की गयी जांच के आधार पर आदित्य वर्ल्ड सिटी, ग्राम-शाहपुर बम्हेटा, डासना, जिला-गाजियाबाद में मौके पर किसी प्रकार का अवैध पातन वर्तमान में नहीं पाया गया। चूंकि अधिकांश जगहों पर आवासीय परिसर (टाउनशिप) का निर्माण हो चुका है, इसलिये वर्तमान में मौके की स्थिति के आधार पर वर्ष 2008-09 में अवैध पातन के साक्ष्यों की सटीक जानकारी का उपलब्ध होना संभव नहीं है। साथ ही अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण में गूगल अर्थ के माध्यम से आदित्य वर्ल्ड सिटी, ग्राम-शाहपुर बम्हेटा, डासना, जिला-गाजियाबाद में वृक्षों के अवैध रूप से पातन को टाइम लैप्स के माध्यम से देखा गया, जिसमें यह पाया गया कि वर्ष-2009 से गूगल अर्थ का डेटा उपलब्ध है, उक्त समय अवधि में कुछ स्थलों पर हरे मैदानों जैसा दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी घना हरा क्षेत्र (छतरी) दिखाई नहीं दे रहा है जिससे किसी वृक्ष के संदर्भ में सटीक टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है। गूगल अर्थ के टाइम लैप्स डेटा के आधार पर उक्त स्थल पर जनवरी 2011 के उपरांत ही यहां कोई निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है, अतः इससे पूर्व में वृक्षों के होने का साक्ष्य एवं पातन के संदर्भ में कोई टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।


पत्रांक:- / दिनांकित।


1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।


AmLh
22.3.25


70


प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद।











ANNEXURE-II

उपरो,

मा० एन०जी०टी० नियत तिथि 01.07.2025 / महत्वपूर्ण / ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक-को०के० 3739(A)/6ई-2 (एन०जी०टी०), दिनांक, लखनऊ, जून, 23-2025.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गाजियाबाद वन प्रभाग,
गाजियाबाद।



विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1343/2024 हरीश यादव बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन के संबंध में।

- संदर्भ- 1-मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, मेरठ का पत्रांक-2016/35-3 दिनांक 13.06.2025
2-इस कार्यालय का पत्रांक-3684/6ई-2(एन०जी०टी०) दिनांक 17.06.2025
3-प्रियंका स्वामी अधिवक्ता का ई-मेल दिनांक 24.06.2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयगत प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें।
प्रकरण वृक्षों के कटान से संबंधित है।

विषयगत प्रकरण में मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 05.12.2024 के अनुपालन में नियत तिथि 01.07.2025 से पूर्व वाद में प्रतिवादी सं०-12 प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ की ओर से वांछित समस्त विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु आपको नामित किया जाता है। अतः आप सुश्री प्रियंका स्वामी, नामित अधिवक्ता, मा० एन०जी०टी० से वार्ता करके उन्हें प्रकरण में ब्रीफ आदि करते हुए प्रति शपथ-पत्र ससमय दाखिल करते हुए वाद की प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करें, और नियत तिथि को सुनवाई के समय मा० एन०जी०टी० में उपस्थित रहें। इस संबंध में इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक-को०के० 49/6जी०जी०एल० दिनांक 04.07.2024 (पूर्व में प्रेषित पत्र) का भी अवलोकन करें।

यह पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(पी०के० गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस,
उ०प्र०, लखनऊ।



संख्या-3739(A)/तददिनांकित।

प्रतिलिपि

- मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी क्षेत्र, मेरठ (पर्यवेक्षक अधिकारी) को उक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही ससमय संपादित कराने हेतु प्रेषित।
- वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ (नोडल अधिकारी) को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने निर्देशन में प्रभागीय वनाधिकारी, गाजियाबाद, वन प्रभाग, गाजियाबाद को निर्देशित करें कि वह मा० एन०जी०टी० में प्रतिवादी सं०-12 की ओर से ससमय प्रति शपथ-पत्र दाखिल करते हुए वाद की प्रभावी पैरवी कराना सुनिश्चित करें।

(पी०के० गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस,
उ०प्र०, लखनऊ।

948

कोर्ट केस/समयबद्ध
संख्या-NGT-57/81-2-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28-06-2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-1343/2024 हरीश यादव बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-को०के० 3684/6ई-2(एन०जी०टी०), दिनांक 17.06.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 17.06.2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत वाद में मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 05.12.2024 के क्रम में प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन का रिस्पांन्स दाखिल किया जाना है। प्रमुख सचिव, पर्यावरण, उ०प्र० शासन (प्रतिवादी सं०-11) की ओर Response दाखिल किये जाने हेतु प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग गाजियाबाद को अधिकृत किया जाता है।

कृपया शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुये उक्त Response मा० अधिकरण में समयान्तर्गत दाखिल कराते हुये प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। दाखिल किये गये Response की एक प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायी जाय तथा मा० अधिकरण द्वारा समय-समय पर पारित होने वाले आदेशों से भी कार्यवाही के प्रस्ताव सहित अवगत करायें।

प्रकरण महत्वपूर्ण है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

भवदीय ,

(शैलेन्द्र कुमार)

उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवा

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार)

उप सचिव